म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक : 6 अगस्त, 2008

क्रमांक : 1717–विनिआ/2008. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (1) सहपठित धारा 91 (4) द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक 1713/मप्रविनिआ/2004 दिनांक 25 जून, 2004 द्वारा अधिसूचित तथा मप्र शासन राजपत्र में दिनांक 2 जुलाई, 2004 को प्रकाशित मप्रविनिआ (परामर्शी की नियुक्ति) विनियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) विनियम, 2004 में छटवें संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक, सीमा एवं प्रारम्भ :**
   - (i) ये विनियम "**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) विनियम, 2004 (छटवां संशोधन (एजी–6 (vi) वर्ष 2008)**" कहलायेंगे ।
   - (ii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होगा ।
   - (iii) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

2. **विनियम 3 में संशोधन :**

   कथित विनियमों के पैरा क्रमांक 3 (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात :

   "(1) परामर्शी को केवल ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु लगाया जावेगा, जहां कार्य विशिष्ट प्रकार का और समय–सीमा से बंधा हुआ हो तथा जिसमें बाह्य सहायता की आवश्यकता हो ।"

आयोग के आदेशानुसार

(अशोक शर्मा)
आयोग सचिव